

सूचना का अधिकार क़ानून -2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन

महोदय / महोदया,

महोदय कृपया सूचना का अधिकार क़ानून -2005 के तहत नीचे लिखे प्रश्नों का लिखित उत्तर देने की कृपा करें।

1. पावर ग्रिड द्वारा अभी तक कितनी बार और किस-किस समय अपने कर्मचारियों के लिए ACGS (ACCELERATED CARRIER GROWTH SCHEME) निकाली गई है।
2. पावर ग्रिड द्वारा पिछली बार किस समय ACGS (ACCELERATED CARRIER GROWTH SCHEME) निकाली गई थी।
3. पावर ग्रिड द्वारा निकाली जाने वाली ACGS SCHEME में **SUPERVISOR TO ENGINEER (ELECTRICAL) व WORKMAN TO SUPERVISOR (ELECTRICAL) की QUALIFICATION का क्या मापदंड है।**
4. पावर ग्रिड द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अभी तक जितनी बार भी ACGS SCHEME निकाली गई है उन सभी के **SUPERVISOR TO ENGINEER (ELECTRICAL) व WORKMAN TO SUPERVISOR (ELECTRICAL)** बनने के लिए जो QUESTION PAPERS कर्मचारियों को दिए गए थे उन सभी QUESTION PAPERS की एक-एक प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवाने की कृपा करे।
5. प्रार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी के लिए यदि किसी भी प्रकार का शुल्क भविष्य में प्रार्थी को अदा करना है तो उस शुल्क को अदा करने के लिए प्रार्थी को ONLINE PAYMENT का पूर्ण PROCEDURE बताने की कृपा करे।

नोट:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के chapter 1 की धारा 2 के POINT J(ii) के अनुसार भारत के किसी भी नागरिक को अधिकार है के वो सरकार के किसी भी विभाग के सार्वजनिक दस्तावेज की सत्यापित प्रति प्राप्त कर सके।